

कार्यालय अंचल अधिकारी, डाड़ी हजारीबाग।

त्रुटि निराकरण वाद संख्या- 09/2025(RCMS)

गणेश साव ग्राम पटरंगी

आदेश की क्र०
10 और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्यवाही के
बारे में टिप्पणी

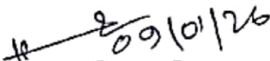
आदेश

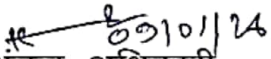
अभिलेख का अवलोकन किया गया। गणेश साव पिता स्व० रामदास साव ग्राम-पटरंगी द्वारा मौजा-पटरंगी खाता सं०-65 प्लॉट-749 रकवा 0.14डी० किस्म रैयती का ऑनलाइन पंजी॥ में रकवा दर्ज करने हेतु आवेदन दिया था। उक्त प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-पटरंगी खाता सं०-65 प्लॉट-749 रकवा 0.14डी० भूमि का जमाबंदी पंजी॥ के पृष्ठ संख्या 352/IV पर गणेश साव पिता रामदास साव के नाम पर जमाबंदी दर्ज है ऑफलाइन पंजी॥ में रकवा पृष्ठ फटे होने के कारण ऑनलाइन पंजी॥ में रकवा शुन्य हो गया है। आवेदक द्वारा समर्पित ऑफलाइन रसीद में रकवा 0.14डी० दर्ज है। अंचल अमीन द्वारा उक्त खाता प्लॉट का दखल कब्जा प्रतिवेदन में खाता सं०-65 प्लॉट-749 रकवा 0.14डी० भूमि आवेदक गणेश साव के दखल कब्जा में पाया गया।

अतः रैयतो द्वारा समर्पित कागजातों एवं राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा पटरंगी खाता सं०-65 प्लॉट-749 रकवा 0.14डी० भूमि का ऑनलाइन रकवा दर्ज करने की दी जाती है। इसी आदेश के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति राजस्व उपनिरीक्षक को हस्तगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
डाड़ी, हजारीबाग।


अंचल अधिकारी,
डाड़ी, हजारीबाग।